रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 15, 1976/फाल्गुन 25, 1897
No. 125] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 15, 1976/PHALGUNA 25, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 15th March 1976

S.O. 193(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 114 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following order to amend the Packaged Commodities (Regulation) Order, 1975, namely:—

1. (1) This Order may be called the Packaged Commodities (Regulation) Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Packaged Commodities (Regulation) Order, 1975, to sub-paragraph (4) of paragraph 5, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that—

(a) Where, after any commodity has been prepacked for sale, any tax, payable in relation to such commodity, is increased or any fresh tax is imposed on such commodity, the dealer shall not make any retail sale of such commodity, at a price exceeding the revised retail price communicated to him by the manufacturer or, where the manufacturer is not the packer, the packer, and it shall be the duty of the manufacturer or packer, as the case may be, to indicate, by not less than two advertisements in one or more newspapers, as also by circulation of notices to the dealers and to the Central Government and State Governments and the Government of the Union territories, the revised prices of such packages; but the difference between the price

marked on the package and the revised prices shall not, in any case, be higher than the extent of the increase in the tax or, in the case of imposition of a fresh tax, higher than the fresh tax so imposed,

(b) the dealer shall not charge such revised prices in relation to any package except those packages which bear markings indicating that they were pre-packed in the month in which such tax has been increased or fresh tax has been imposed or the month immediately following the month aforesaid;

(c) where the revised prices are lower than the price marked on the package, the dealer shall not charge any price in excess of the revised prices irrespective of the month in which such commodity was pre packed,

Provided further that nothing contained in the forgoing proviso shall apply to a package which is not required, under this Order, to indicate the month and the year in which it was pre-packed"

[No F WM-10(1)/76]

A. F. COUTO, Jt Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1976

का० आ० 193 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैकेज मे रखी गई वस्तु (विनियमन) आदेश, 1975 मे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का नाम पैकेज में रखी गई वस्तु (विनियमन) संशोधन आदेश, 1976 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. पैकेज मे रखी गई वस्तु (विनियमन) आदेश, 1975 मे पैरा 5 के उप पैरा (4) के साथ निम्नलिखित पैरा जोडा जाएगा, अर्थात :—

"परन्तु —

(क) जहा विक्रय के लिए किसी वस्तु को पहले से पैकेज बद किया गया है और इसके पश्चात उस वस्तु पर संदेय कोई कर बढा दिया जाता है या उस वस्तु पर नया कर अधिरोपित कर दिया जाता है, वहा व्यवहारी ऐसी वस्तु का, ऐसी पुनरीक्षित फुटकर कीमत से अधिक पर फुटकर विक्रय नही करेगा, जो उसे विनिर्माता द्वारा या जहा विनिर्माता स्वय पैकर नही है, वहा पैकर द्वारा उसे समुचित की जाए और यथास्थिति, विनिर्माता या पैकर का यह कर्तव्य होगा कि वह एक या अधिक समाचार पत्रों मे दो से अन्यून विज्ञापनों द्वारा तथा व्यवहारियो और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारो और सघ राज्य क्षेत्रो की सरकारो को सूचना का परिचालन करके ऐसे पैकेजो की पुनरीक्षित कीमत उपदर्शित करे, किन्तु पैकेज पर अकित कीमत और पुनरीक्षित कीमत के बीच अन्तर किसी भी दशा मे, कर मे हुई वृद्धि से अधिक नही होगा और नया कर

अधिरोपित किए जाने की दशा में ऐसे अधिरोपित नए कर से अधिक नहीं होगा ;

(ख) व्यवहारी ऐसे पैकेजों से, जिन पर यह उपदर्शित करने वाले चिह्न हैं कि वे उस मास से जिसमें कर बढ़ाया गया है या नए कर अधिरोपित किए गए हैं या पूर्वोक्त मास के ठीक पश्चात्वर्ती मास में पहले से ही पैकेज बंद किए गए थे, भिन्न किसी भी पैकेज पर पुनरीक्षित कीमत प्रभारित नहीं करेगा ;

(ग) जहां पुनरीक्षित कीमतें पैकेज पर अंकित कीमत से कम है, वहां व्यवहारी उस मास पर ध्यान दिए बिना, जिसमें ऐसी वस्तु पहले से पैकेज बंद की गई थी; पुनरीक्षित कीमत से अधिक कीमत प्रभारित नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे पैकेज को लागू नहीं होगी, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन यह उपदर्शित करना आवश्यक नहीं है कि वह किस मास या वर्ष में पहले से पैकेज बंद किया गया था।"

[सं० फा० डब्ल्यू एम 10 (1)/76]

ए० एफ० कुटो, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976